# छत्तीसगढ़ विधानसभा

## पत्रक भाग-एक

## संक्षिप्त कार्य विवरण

## शुक्रवार, दिनांक 20 फरवरी, 2009

## (फाल्गुन-1, शक संवत् 1930)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

**(अध्यक्ष महोदय (श्री धरम लाल कौशिक) पीठासीन हुए।)**

### 1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 14 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 1 से 3 तथा 5 से 12 (कुल 11 प्रश्नों) पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा उत्तर दिये गए।

प्रश्न संख्या 4 की प्रश्नकर्त्ता सदस्य श्रीमती सरोजा मनहरण राठौर अनुपस्थित रहीं ।

प्रश्नोत्तर सूची में अतारांकित प्रश्नों के रूप में 7 प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे।

### 2. बहिर्गमन

तारांकित प्रश्न संख्या 11 कस्टम मिलिंग एवं लेव्ही जमा कार्य से प्रतिबंधित राईस मिल पर चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष श्री रविन्द्र चौबे के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों ने शासन के उत्तर के विरोध में सदन से बहिर्गमन किया ।

### 3. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री कोमल जंघेल, संसदीय सचिव ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के खंड (2) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य का भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक से प्राप्त प्रतिवेदन-

(i) दिनांक 31 मार्च, 2008 को समाप्त वर्ष के लिए (सिविल एवं वाणिज्यिक) छत्तीसगढ़ शासन

(ii) दिनांक 31 मार्च, 2008 को समाप्त वर्ष के लिए (राजस्व प्राप्तियां) छत्तीसगढ़ शासन, तथा

(2) मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 (क्रमांक 10 सन् 1993) की धारा 28 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार राज्य मानव अधिकार आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2007-2008, पटल पर रखा।

## 4. ध्यानाकर्षण

माननीय अध्यक्ष ने घोषणा की कि-अध्यक्ष के स्थायी आदेश क्रमांक 22(6) के तहत कार्यसूची में 23 ध्यानाकर्षण सूचनाओं को शामिल किया गया है। क्रमांक (1) से (5) तक की सूचनाएं सदन में पढ़ी जावेंगी जिनका उत्तर माननीय मंत्री देंगे। शेष सूचनाओं में उपस्थित सदस्यों की सूचनाएं तथा उन पर विभागीय मंत्री का उत्तर पढ़े हुए माने जाएंगे।

(1) श्री रविन्द्र चौबे, सदस्य ने राजधानी रायपुर में सौन्दर्यीकरण के नाम पर तोड़-फोड़ किये जाने की ओर नगरीय प्रशासन मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।
श्री राजेश मूणत, नगरीय प्रशासन मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(2) श्री देवजी पटेल, सदस्य ने प्रदेश में बिजली तारों की चोरी की घटनाओं में वृद्धि होने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित किया।
श्री कोमल जंघेल, संसदीय सचिव ने इस पर वक्तव्य दिया।

(3) श्री जयसिंह अग्रवाल, डॉ.प्रेमसाय सिंह टेकाम, श्रीमती पद्मा घनश्याम मनहर, सदस्य ने जिला-कोरबा स्थित लेंको पावर प्लांट द्वारा कोरबा-चाम्पा मार्ग पर ओव्हर ब्रिज का निर्माण कराये बिना सड़क को काटे जाने की ओर जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।
श्री बृजमोहन अग्रवाल, लोक निर्माण मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(4) श्री अमरजीत भगत, सदस्य ने खुटपाली सिंचाई परियोजना वन विभाग की बिना अनुमति के प्रारंभ किये जाने की ओर जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।
श्री बृजमोहन अग्रवाल, लोक निर्माण मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(5) सर्वश्री नंदकुमार पटेल, रविन्द्र चौबे, सदस्य ने जिला-जशपुर में कार्यरत शिक्षा कर्मियों को वेतन न मिलने की ओर आदिम जाति कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।
श्री केदार कश्यप, आदिम जाति कल्याण मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

माननीय अध्यक्ष की घोषणानुसार निम्नलिखित उपस्थित सदस्यों की सूचनाएं सदन में पढ़ी हुई तथा संबंधित मंत्री द्वारा उन पर वक्तव्य पढ़े हुए माने गए :-

| उप पद क्रमांक | सदस्य |
|---|---|
| (6) | सर्वश्री चैतराम साहू, मोहम्मद अकबर, ताम्रध्वज साहू |
| (7) | श्री मोहम्मद अकबर |
| (8) | श्री गुरू रुद्र कुमार |
| (9) | श्री मोहम्मद अकबर |
| (10) | श्री मोहम्मद अकबर |
| (12) | श्री संतोष बाफना |
| (13) | श्री नंदकुमार पटेल |
| (14) | श्री नंदकुमार पटेल |
| (15) | श्री नंदकुमार पटेल |
| (16) | सर्वश्री नंदकुमार पटेल, रविन्द्र चौबे |
| (17) | श्री परेश बागबाहरा |
| (19) | सर्वश्री मोहम्मद अकबर, कुलदीप सिंह जुनेजा, शिवराज सिंह उसारे |
| (21) | श्री रविन्द्र चौबे, श्रीमती प्रतिमा चंद्राकर, श्री चैतराम साहू |
| (22) | श्री देवजी भाई पटेल |
| (23) | श्रीमती प्रतिमा चंद्राकर |

## 5. नियम 267-क के अंतर्गत विषय

माननीय अध्यक्ष की घोषणा अनुसार निम्नलिखित सदस्यों की नियम 267-क की सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गईं :-

(1) महंत रामसुंदर दास
(2) डॉ.प्रेमसाय सिंह टेकाम
(3) श्री अमरजीत भगत
(4) श्री मोहम्मद अकबर
(5) श्री देवजी पटेल
(6) श्री गुरू रुद्र कुमार
(7) श्रीमती पद्मा घनश्याम मनहर
(8) श्री लेखराम साहू
(9) डॉ.हरिदास भारद्वाज

## 6. समितियों का निर्वाचन

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति तथा सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के लिए क्रमशः 9-9 उम्मीदवारों के नाम निर्देशन प्रपत्र प्राप्त हुए हैं, चूंकि तीनों समितियों के लिए क्रमशः 9-9 सदस्य ही निर्वाचित किये जाने हैं, अतः निम्नांकित सदस्यों को उक्त समितियों के लिये निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर नियम 180 के उप नियम (1) के अधीन उक्त समितियों के सभापतियों को नियुक्त किया जाता है :-

### लोक लेखा समिति

1. डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी
2. श्री सेवकराम नेताम
3. श्री नंदकुमार साहू
4. श्री बैदूराम कश्यप
5. श्री दीपक कुमार पटेल
6. श्री नंद कुमार पटेल
7. श्री मोहम्मद अकबर
8. श्री परेश बागबाहरा
9. श्रीमती प्रतिमा चन्द्राकर

श्री नंदकुमार पटेल, सदस्य को इस समिति का सभापति नियुक्त किया गया।

### प्राक्कलन समिति

1. श्री देवजी भाई पटेल
2. डॉ. सुभाऊ कश्यप
3. श्री रविशंकर त्रिपाठी
4. सुश्री सरोज पाण्डेय
5. श्री भीमा मण्डावी
6. महंत रामसुन्दर दास

7. श्री रामदेव राम
8. श्री राम पुकार सिंह
9. श्री बोधराम कंवर

श्री देवजी भाई पटेल, सदस्य, को इस समिति का सभापति नियुक्त किया गया।

## सरकारी उपक्रमों संबंधी सबंधी

1. श्री नारायण चन्देल
2. डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी
3. श्री मदलाल साहू
4. श्री ब्रह्मानंद नेताम
5. श्री राजू सिंह ठाकुर
6. डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम
7. श्री गुरू रुद्र कुमार
8. श्री लेखराम साहू
9. श्री शिवराज सिंह उसारे

श्री नारायण चन्देल, सदस्य को इस समिति का सभापति नियुक्त किया गया।

## अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति के लिये 9 उम्मीदवारों के नाम निर्देशन प्रपत्र प्राप्त हुए हैं, चूंकि समिति के लिए 9 सदस्य ही निर्वाचित किए जाने हैं, अतः निम्नलिखित सदस्यों को उक्त समिति के लिए निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर नियम 180 के उप नियम (1) के अधीन उक्त समिति के सभापति को नियुक्त किया जाता है :-

1. श्री फूलचन्द सिंह
2. श्री डोमनलाल कोर्सेवाड़ा

3. श्री जगेश्वर राम भगत
4. श्री रामजी भारती
5. श्रीमती लक्ष्मी बघेल
6. डॉ.हरिदास भारद्वाज
7. श्री अमरजीत भगत
8. श्री लेखराम साहू
9. श्री भोलाराम साहू

श्री फूलचन्द सिंह, सदस्य, को इस समिति का सभापति नियुक्त किया गया।

## 7. नाम निर्देशित समितियों का गठन

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 208(1), 213, 217(1), 224(2), 225(1), 231(2), 233(1), 234-ग, 234-घ(2) एवं 234-ज(1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित समितियों के लिए सदस्यों को वर्ष 2009-2010 की अवधि में सेवा करने के लिये तथा नियमावली के नियम 180 के उप नियम (1) के अधीन समितियों में उनके सभापतियों को नियुक्त करते हैं :-

## गैर-सरकारी सदस्यों के विधयकों तथा संकल्पों सबंधी समिति

1. श्री सेवकराम नेताम
2. श्री नंदकुमार साहू
3. श्री डमरूधर पुजारी
4. श्री मदनलाल साहू
5. श्री लखमा कवासी
6. श्री बदरूद्दीन कुरैशी
7. श्री शिवराज सिंह उसारे

श्री सेवकराम नेताम, सदस्य को इस समिति का सभापति नियुक्त किया गया।

## याचिका समिति

1. श्री संतोष बाफना
2. श्री ब्रह्मानंद नेताम
3. श्री रामजी भारती
4. श्री खेदूराम साहू
5. श्री चैतराम साहू
6. श्री परेश बागबाहरा
7. श्रीमती पद्मा घनश्याम मनहर

श्री संतोष बाफना, सदस्य, को इस समिति का सभापति नियुक्त किया गया।

## प्रत्यायुक्त विधान समिति

1. श्री बैदूराम कश्यप
2. श्री विरेन्द्र कुमार साहू
3. श्री डोमन लाल कोर्सेवाड़ा
4. श्री खेदूराम साहू
5. श्री बोधराम कंवर
6. श्री भोलाराम साहू
7. श्री जय सिंह अग्रवाल

श्री बैदूराम कश्यप, सदस्य, को इस समिति का सभापति नियुक्त किया गया।

## शासकीय आश्वासनों सबंधी समिति

1. श्री रविशंकर त्रिपाठी
2. श्री दयालदास बघेल
3. श्रीमती नीलिमा सिंह टेकाम

4. श्री रामजी भारती
5. श्री ताम्रध्वज साहू
6. डॉ. प्रेम साय सिंह टेकाम
7. डॉ. हरिदास भारद्वाज

श्री रविशंकर त्रिपाठी, सदस्य को इस समिति का सभापति नियुक्त किया गया।

## विशेषाधिकार समिति

1. डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी
2. श्रीमती सुमीत्रा मारकोले
3. श्री संतोष बाफना
4. श्री दीपक कुमार पटेल
5. डॉ. शक्राजीत नायक
6. श्री टी. एस. सिंहदेव
7. श्री गुरू रुद्र कुमार

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी , सदस्य को इस समिति का सभापति नियुक्त किया गया।

## नियम समिति

1. श्री रविशंकर त्रिपाठी
2. श्री देवजी भाई पटेल
3. श्री रामपुकार सिंह
4. श्री देवेन्द्र बहादुर सिंह
5. श्री अमरजीत भगत

अध्यक्ष, विधान सभा उक्त समिति के पदेन सभापति तथा माननीय विधि मंत्री उक्त समिति के पदेन सदस्य होंगे।

## पुस्तकालय समिति

1. श्री दीपक कुमार पटेल
2. श्री जगेश्वर राम भगत
3. श्री राजू सिंह ठाकुर
4. श्री विरेन्द्र कुमार साहू
5. श्री अमितेश शुक्ल
6. श्री गुरुमुख सिंह होरा
7. श्री हृदयराम राठिया

श्री दीपक कुमार पटेल, सदस्य, को इस समिति का सभापति नियुक्त किया गया।

## पटल पर रखे गये पत्रों का परीक्षण करने संबंधी समिति

1. डॉ. सुभाऊ कश्यप
2. श्री फूलचन्द सिंह
3. श्री जगेश्वर राम भगत
4. श्री भीमा मंडावी
5. श्री रामदयाल उइके
6. महंत रामसुंदर दास
7. श्रीमती प्रतिमा चन्द्राकर

डॉ. सुभाऊ कश्यप, सदस्य को इस समिति का सभापति नियुक्त किया गया।

## प्रश्न एवं संदर्भ समिति

1. श्री देवजी भाई पटेल
2. श्री नारायण चंदेल
3. डॉ. सुभाऊ कश्यप
4. श्री राजू सिंह ठाकुर
5. श्री नंदकुमार पटेल

6. श्री मोहम्मद अकबर
7. श्री धर्मजीत सिंह

श्री देवजी भाई पटेल, सदस्य को इस समिति का सभापति नियुक्त किया गया।

## आचरण समिति

1. श्री बद्रीधर दीवान
2. डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी
3. श्री दयालदास बघेल
4. श्री राजकमल सिंघानिया
5. श्री रामदेव राम
6. श्री कुलदीप सिंह जुनेजा

अध्यक्ष, विधान सभा उक्त समिति के पदेन सभापति तथा माननीय मुख्यमंत्री, माननीय नेता प्रतिपक्ष उक्त समिति के पदेन सदस्य होंगे।

## 8. महिलाओं एवं बालकों के कल्याण संबंधी समिति का गठन

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 234-च के उपनियम (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए, वे महिलाओं एवं बालकों के कल्याण संबंधी समिति के लिए सदस्यों को वर्ष 2009-2011 की अवधि में सेवा करने के लिए नाम निर्दिष्ट तथा नियमावली के नियम 180 के उपनियम (1) के अधीन समिति के सभापति को नियुक्त करते हैं :-

1. सुश्री सरोज पाण्डेय
2. श्रीमती रेणुका सिंह
3. श्रीमती सुमीत्रा मारकोले
4. श्रीमती नीलिमा सिंह टेकाम
5. श्रीमती लक्ष्मी बघेल
6. डॉ. (श्रीमती) रेणु जोगी

7. श्रीमती सरोजा मनहरण राठौर
8. श्री लेखराम साहू
9. श्रीमती अंबिका मरकाम

सुश्री सरोज पाण्डेय, सदस्य को इस समिति का सभापति नियुक्त किया गया।

## 9. सामान्य प्रयोजन समिति का गठन

माननीय अध्यक्ष ने विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम-234 के उप नियम (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित सदस्यों को सामान्य प्रयोजन समिति के लिए वर्ष 2009-2010 की अवधि में सेवा करने के लिए नाम-निर्दिष्ट किया :-

1. डॉ. रमन सिंह, मुख्यमंत्री
2. श्री रविन्द्र चौबे, नेता प्रतिपक्ष
3. श्री बृजमोहन अग्रवाल, संसदीय कार्य मंत्री
4. श्री नंदकुमार पटेल
5. श्री देवजी भाई पटेल
6. श्री नारायण चन्देल
7. श्री फूलचन्द सिंह
8. श्री सेवकराम नेताम
9. श्री संतोष बाफना
10. श्री बैदूराम कश्यप
11. श्री रविशंकर त्रिपाठी
12. डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी
13. श्री दीपक कुमार पटेल
14. डॉ. सुभाऊ कश्यप
15. सुश्री सरोज पाण्डेय
16. श्री बद्रीधर दीवान
17. श्री धर्मजीत सिंह
18. डॉ. शक्राजीत नायक
19. डॉ. हरिदास भारद्वाज

अध्यक्ष, विधान सभा इस समिति के पदेन सभापति होंगे।

## 10. याचिकाओं की प्रस्तुति

माननीय अध्यक्ष की घोषणा अनुसार निम्नलिखित उपस्थित सदस्यों की याचिकाएं पढ़ी हुई मानी गईं :-

(1) श्री संतोष बाफना

(2) श्री दूजराम बौद्ध

(3) श्री लेखराम साहू

(4) श्रीमती नीलिमा सिंह टेकाम

(5) श्रीमती सरोजा मनहरण राठौर

(6) सुश्री सरोज पाण्डेय

(7) श्रीमती अंबिका मरकाम

## 11.नियम 167 के अंतर्गत अग्राह्य विशेषाधिकार भंग की सूचनाओं की सदन को सूचना

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि छत्तीसगढ़ विधान सभा प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली के नियम 167 के अंतर्गत छत्तीसगढ़ विधान सभा के सदस्य, श्री भोलाराम साहू द्वारा मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पंचायत, अम्बागढ़ चौकी, जिला-राजनांदगांव के विरुद्ध प्रस्तुत विशेषाधिकार भंग की सूचना दिनांक 3 फरवरी, 2009 को उन्होंने अग्राह्य कर दिया है ।

## 12.वक्तव्य

श्री ननकीराम कंवर, गृह मंत्री ने जिला कांकेर में घटित नक्सली घटना के संबंध में वक्तव्य दिया ।

श्री नंदकुमार पटेल, सदस्य ने इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त की ।

## 13.सदन को सूचना

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि-उन्हें सदन को यह सूचित करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि विधान सभा परिसर में सुविधायुक्त कार्य की दृष्टि से नया पुस्तकालय, सेन्ट्रल हॉल की तर्ज पर एक भवन, आवासीय परिसर में एक सामुदायिक भवन तथा इनडोर खेल प्रतियोगिताओं हेतु भवनों का प्रावधान आय-व्ययक में किया जाकर अन्य औपचारिकतायें पूर्ण कर भूमि पूजन का कार्यक्रम आज दोपहर 1.30 बजे आयोजित है। समस्त सदस्य कृपया परिसर में वाहन पार्किंग स्थल पर आमंत्रित हैं।

## 14. शासकीय विधि विषयक कार्य

### छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक 2) विधेयक, 2009 (क्रमांक 3 सन् 2009)

डॉ.रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक 2) विधेयक, 2009 (क्रमांक 3 सन् 2009) पर विचार किया जाय।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

(1.20 बजे से 2.02 बजे तक अंतराल)

(सभापति महोदय (डॉ.हरिदास भारद्वाज) पीठासीन हुए ।)

श्री नंदकुमार पटेल, सदस्य ने चर्चा प्रारंभ की।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-
सर्वश्री देवजी भाई पटेल, परेश बागबाहरा, रविशंकर त्रिपाठी,

(सभापति महोदय (श्री नारायण चंदेल) पीठासीन हुए।)

सर्वश्री अग्नि चंद्राकर, (डॉ.) सुभाऊ कश्यप, (डॉ.) प्रेमसाय सिंह टेकाम, संतोष बाफना,

(सभापति महोदय (डॉ.हरिदास भारद्वाज) पीठासीन हुए।)

सर्वश्री लेखराम साहू, विरेन्द्र कुमार साहू, अमरजीत भगत, दयालदास बघेल,

(अध्यक्ष महोदय (श्री धरम लाल कौशिक) पीठासीन हुए।)

सर्वश्री दूजराम बौद्ध, लखमा कवासी,

श्री रविन्द्र चौबे, नेता प्रतिपक्ष।

(माननीय अध्यक्ष ने सदन की सहमति से विनियोग विधेयक के पारण व अन्य कार्य सम्पन्न होने तक सदन के समय में वृद्धि की घोषणा की।)

डॉ.रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया ।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विधेयक पर खंण्डशः विचार हुआ ।

खंड 2, 3 व अनुसूची इस विधेयक का अंग बने ।

खंड 1 इस विधेयक का अंग बना ।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने ।

डॉ.रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक 2) विधेयक, 2009 (क्रमांक 3 सन् 2009) पारित किया जाए ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विधेयक **सर्वसम्मति** से पारित हुआ ।

## 15. सत्र का समापन

## अध्यक्षीय उद्‌बोधन

छत्तीसगढ़ राज्य की तृतीय विधान सभा का यह प्रथम सत्र दिनांक 5 जनवरी, 2009 को महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण के साथ आरंभ हुआ। इस सत्र के समापन अवसर पर मैं सभा की कार्यवाही के संचालन में सहयोग के लिये सर्वप्रथम माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय नेता प्रतिपक्ष एवं समस्त माननीय सदस्यों को हृदय से धन्यवाद देता हूँ, जिनके सहयोग से इस सभा की कार्यवाही गरिमा के साथ सम्पन्न हुई।

छत्तीसगढ़ की इस तृतीय विधान सभा में 36 माननीय सदस्य प्रथम बार निर्वाचित होकर आये हैं। मैं यहॉ यह उल्लेख करना चाहता हूँ कि प्रथम बार निर्वाचित होकर आये सदस्यों ने संसदीय परम्पराओं, प्रक्रियाओं एवं विश्वास को अपने कार्य एवं व्यवहार से सदन में स्थापित किया। मैं उन्हें इसके लिये बधाई देता हूँ और उनके उज्जवल संसदीय जीवन की कामना करता हूँ। मुझे यह बताते हुये भी प्रसन्नता हो रही है कि इस तृतीय विधान सभा के लिये प्रदेश की दो करोड़ पन्द्रह लाख जनता ने नब्बे सदस्यीय सभा में ग्यारह महिला प्रतिनिधियों को निर्वाचित किया है, जो कि कुल संख्या के बारह प्रतिशत से भी अधिक है और इस प्रकार महिलाओं की भागीदारी हमारी इस सभा में सुदृढ़ हुई है। मैं समस्त महिला सदस्यों को

भी इस अवसर पर अपनी ओर से पुनः बधाई देता हूँ और यह कामना करता हूँ और विश्वास है कि वे उनके प्रभावी कार्यों से जन–आकांक्षाओं की अपेक्षाओं की पूर्ति में सफल होंगी।

इस सभा में बड़ी संख्या में दीर्घ अनुभवयुक्त वरिष्ठ सदस्य हैं, जिन्होंने अविभाजित मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ विधान सभा में पूर्व में संसदीय भूमिकाओं का कुशलतापूर्वक निर्वहन किया है और मुझे विश्वास है कि उनके सुदीर्घ संसदीय ज्ञान से नव आगन्तुक सदस्य संसदीय प्रक्रियाओं एवं परम्पराओं से परिचित होंगे। मैं अनुभवी एवं वरिष्ठ सदस्यों से भी अपेक्षा करता हूँ कि वे नव आगन्तुक सदस्यों को संसदीय प्रक्रियाओं एवं परम्पराओं से अवगत कराने में अमूल्य योगदान दें।

लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में विधान मण्डल प्रदेश की समस्याओं पर चर्चा के माध्यम से हल निकालने का एकमात्र सशक्त स्थान है। तृतीय विधान सभा के इस प्रथम सत्र में आप सभी माननीय सदस्यों ने जिस उच्च श्रेणी के संसदीय संस्कारों की अभिव्यक्ति की है, इससे मेरा यह विश्वास सुदृढ़ हुआ है कि छत्तीसगढ़ राज्य की विधान सभा आने वाले वर्षों में उच्च संसदीय मापदण्डों के प्रति निष्ठा एवं विश्वास के लिये देश में अपना पृथक स्थान बनायेंगी।

मेरा यह मानना है कि संसदीय प्रक्रियाओं एवं परम्पराओं के पालन से ही इस पवित्र मंदिर के महत्व को अक्षुण्ण बनाये रख सकते हैं। वस्तुतः यह सदन ही वह पवित्र जगह है, जहॉ पर लोक–हित एवं लोक–कल्याण हेतु पक्ष–विपक्ष के माननीय सदस्य समस्याओं के समाधान के लिये संसदीय साधना करते हैं और आप सभी माननीय सदस्य सही मायनों में छत्तीसगढ़ के विकास और सम्मान के रथ के सारथी हैं । आपके ऊपर यह गुरूत्तरदायित्व है कि इस राज्य की विकास की दिशा को तय करें, इसलिये मेरा यह आग्रह है कि अपने दायित्वों के प्रति आप सदैव सजग और सचेत रहने का संकल्प लें।

चूंकि आम निर्वाचन के पश्चात् यह प्रथम सत्र है, इसलिये नव निर्वाचित सदस्यों को संसदीय प्रक्रियाओं एवं पद्धति से अवगत कराने के उद्देश्य से सत्र के आरंभ में तीन दिवसीय प्रबोधन कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया, जिसमें अनुभवी संसदविज्ञों के व्याख्यान आयोजित किये गये। मुझे यह बताते हुये प्रसन्नता हो रही है कि इस प्रबोधन कार्यक्रम में केवल नव निर्वाचित समस्त सदस्य ही नहीं अपितु अनेक वरिष्ठ सदस्यों ने भी अपनी उपस्थिति निरंतर दी और यह स्थापित किया कि जीवन में सीखना एक निरंतर प्रक्रिया है। मैं समस्त नव निर्वाचित सदस्यों एवं वरिष्ठ सदस्यों का ज्ञान अर्जित करने की उनकी इच्छाशक्ति के लिये अभिनंदन करता हूँ और इस अवसर पर आप सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध भी करना चाहता हूँ कि सभा में अधिकाधिक सारगर्भित एवं सम्यक चर्चा हो, इस हेतु प्रत्येक विषय के अध्ययन के प्रति वे निरंतर अपनी अभिरूचि बनाये रखें और सभा की चर्चा के स्तर में अभिवृद्धि का निरंतर प्रयास करें । इस हेतु मेरा माननीय सदस्यों से यह भी आग्रह है कि विधान सभा सचिवालय के पुस्तकालय, अनुसंधान एवं संदर्भ सेवा का वे अधिकाधिक लाभ उठायें ।

अनेक सदस्यों ने मुझसे यह अनुरोध किया कि प्रबोधन कार्यक्रम में वरिष्ठ संसदविज्ञों द्वारा दिये गये व्याख्यान की प्रतियॉ उन्हें उपलब्ध करायी जायें। मुझे आप सबको यह बताते हुए हर्ष हो रहा है कि प्रबोधन कार्यक्रम की सम्पूर्ण कार्यवाही को विधान सभा के द्वारा प्रकाशित होने वाली त्रैमासिक शोध पत्रिका **'विधायन'** में एक विषेशांक के रूप में मुद्रित कराया जाकर आप समस्त माननीय सदस्यों को आज वितरित किया गया है। मुझे विश्वास है कि इस प्रकाश्न का लाभ आप सबको अवश्य प्राप्त होगा।

नव गठित इस तृतीय विधान सभा के प्रत्येक सदस्य को संसदीय प्रक्रियाओं एवं पद्धति से अवगत कराने के उद्देश्य से लोक सभा सचिवालय द्वारा प्रकाशित संसदीय प्रक्रिया एवं पद्धति, भारत का संविधान एवं विधान सभा प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली वितरित की गई है ताकि माननीय सदस्य जो

यद्यपि विभिन्न क्षेत्रों में पारंगत हैं, संसदीय प्रक्रिया एवं पद्धति से भी गहराई से परिचित हो सकें और अपने संसदीय ज्ञान का संवर्धन कर सकें।

मैं इस अवसर पर यह उल्लेख करना भी आवश्यक समझता हूँ कि देश एवं राज्य की राजनीतिक परिस्थितियों एवं आसन्न लोक सभा चुनाव को देखते हुये इस बजट सत्र को अपेक्षाकृत लघु स्वरूप दिया गया, बावजूद इसके शनिवार को भी बैठक आयोजित कर निर्धारित समय से अतिरिक्त समय तक सभा की बैठक की अवधि को बढ़ाते हुये सदस्यों ने अधिक से अधिक कार्यों को सभा में सम्पादित कर संसदीय व्यवस्था के प्रति समवेत् रूप से जो आस्था प्रकट की, वह प्रशंसनीय है।

इस अवसर पर मैं यह भी उल्लेख करना समीचीन समझता हूँ कि इस सत्रावधि में माननीय मंत्री श्री अमर अग्रवाल को पितृशोक एवं सदन के नेता डॉ. रमन सिंह को मातृशोक का आघात सहना पड़ा। बावजूद इसके उन्होंने संसदीय व्यवस्था और राज्य के विकास के प्रति अपनी वचनबद्धता को प्रदर्शित करते हुये सदन में उपस्थित होकर अपने दायित्वों का निर्वाह कर जन–सेवा का आदर्श उदाहरण प्रस्तुत किया। मैं जनसेवा के प्रति उनके समर्पण भाव की भी प्रशंसा करता हूँ और उन्हें हृदय से धन्यवाद देता हूँ।

अब मैं आपको इस बजट सत्र में सम्पादित हुये संसदीय कार्यों के संक्षेप में सांख्यिकीय आंकड़ों से अवगत कराना चाहूँगा। इस सत्र में कुल 15 दिवसों में लगभग 99 घण्टे 35 मिनट चर्चा हुई। 12 बैठकों में 91 प्रश्न सभा में पूछे गये, जिनके उत्तर शासन द्वारा दिये गये । इस प्रकार प्रति दिन प्रश्नों का औसत लगभग 7.5 प्रश्नों का रहा। इस सत्र में 615 तारांकित प्रश्न एवं 379 अतारांकित प्रश्नों की सूचनाएं प्राप्त हुईं। इस प्रकार कुल 994 प्रश्नों की सूचनाएँ प्राप्त हुईं। इस सत्र में ध्यानाकर्षण की कुल 319 सूचनाएँ प्राप्त हुईं, जिसमें 68 सूचनाएं ग्राह्य हुईं । इस सत्र में स्थगन प्रस्ताव की कुल 67 सूचनाएं प्राप्त हुई। शून्यकाल की 92 सूचनाएँ प्राप्त हुईं, जिसमें 60 सूचनाएं ग्राह्य और 32 सूचनाएं अग्राह्य रहीं । वर्तमान सत्र में 218 याचिकायें माननीय सदस्यों द्वारा प्रस्तुत की गई जिसमें 77 ग्राह्य, 117 अग्राह्य एवं 24 विचाराधीन है । माननीय सदस्यों द्वारा अशासकीय संकल्प की 14 सूचनाएं दी गईं, जिनमें 2 संकल्प ग्राह्य हुये तथा दोनों संकल्प सदन में चर्चा उपरांत वापस लिए गए। इस सत्र में विनियोग विधेयक सहित 4 विधेयकों की सूचनाएं प्राप्त हुईं तथा 4 विधेयक चर्चा उपरांत पारित हुये।

वित्तीय कार्यों के अंतर्गत द्वितीय अनुपूरक अनुमान पर 3 घण्टे 50 मिनट, वर्ष 2009–10 के आय–व्ययक पर सामान्य चर्चा में 10 घण्टे 3 मिनट का समय लगा जबकि अनुदान की मॉगों पर 41 घण्टे 23 मिनट चर्चा हुई तथा विनियोग विधेयक पर 6 घण्टे चर्चा हुई ।

प्रदेश की सर्वोच्च प्रजातांत्रिक संस्था छत्तीसगढ़ विधान सभा के कार्यकरण से सीधे तौर पर आम जनता को अवगत कराने के उद्देश्य से सदन की कार्यवाही के अवलोकन हेतु दूरदर्शन से प्रश्नकाल का प्रसारण सायं 5.30 से 6.30 बजे तक करने के साथ, विद्यालयों/महाविद्यालयों के छात्र–छात्राओं एवं त्रिस्तरीय पंचायती राज के प्रतिनिधियों को आमंत्रित करने के साथ–साथ माननीय सदस्यों के माध्यम से आम नागरिकों को कार्यवाही देखने का अवसर दिया जाता है । इस तारतम्य में विभिन्न जनप्रतिनिधि संस्थाओं के लगभग 28 प्रतिनिधियों ने तथा 140 छात्र–छात्राओं ने इस सत्र में सदन की कार्यवाही का प्रत्यक्ष अवलोकन किया, साथ ही सदस्यों के माध्यम से भी लगभग बारह हजार नागरिकों ने भी कार्यवाही देखी।

अन्त में बजट सत्र के समापन अवसर पर इस सत्र के संचालन में मैं सदन के नेता माननीय मुख्यमंत्री जी, नेता प्रतिपक्ष तथा समस्त माननीय सदस्यों के प्रति पुनश्चः हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। आप सभी के समन्वित प्रयास से इस सदन का निर्बाध संचालन संभव हो पाया।

मैं इस अवसर पर सभापति तालिका के माननीय सदस्यों के प्रति भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, जिन्होंने सभा की कार्यवाही के संचालन में मुझे सहयोग दिया।

मैं सम्माननीय पत्रकार साथियों एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने सदन की कार्यवाही को बड़ी गंभीरता से प्रचार माध्यमों में प्रमुखता से स्थान देकर प्रदेश की जनता को सभा में सम्पादित कार्यवाही से अवगत कराया। दूरदर्शन, आकाशवाणी एवं अन्य इलेक्ट्रानिक मीडिया के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट भाषण का सीधा प्रसारण किया ।

सत्र की पूर्णता के अवसर पर राज्य शासन के समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों को बधाई देता हूँ तथा सुरक्षा व्यवस्था में संलग्न अधिकारियों एवं कर्मचारियों को भी बधाई देता हूँ, जिन्होंने सुदृढ़ सुरक्षा व्यवस्था पूरे सत्र में कायम रखी।

मैं विधान सभा के सचिव सहित समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों की भी प्रशंसा करता हूँ, जिन्होंने अपने दायित्वों का निर्वहन पूर्ण कुशलता एवं निष्ठा के साथ किया।

सत्र समापन के अवसर पर आगामी सत्र की संभावित तिथि घोषित करने की परिपाटी है। आगामी सत्र 20 जुलाई से संभावित है।

हम सब छत्तीसगढ़ के विकास के लिये कृत संकल्पित हों, इन्हीं भावनाओं के साथ।

**धन्यवाद ! जय हिन्द ! जय छत्तीसगढ !**

डॉ. रमन सिंह (मुख्यमंत्री), श्री रविन्द्र चौबे (नेता प्रतिपक्ष), श्री दूजराम बौद्ध, सदस्य एवं श्री बृजमोहन अग्रवाल (संसदीय कार्य मंत्री) ने भी इस अवसर पर अपने उद्‌गार व्यक्त किए ।

## 16. राष्ट्रगान

( सदन में राष्ट्रगान जन-गण-मन की धुन बजाई गई।)

**रात्रि 8.40 बजे विधान सभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित की गई ।**

देवेन्द्र वर्मा
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा